लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं॰ आर्थिक क्षेत्र

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर (देहरादून) के माह 04/2012 से 06/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री आर.एन.यादव, (स.ले.प.अ.) एवं श्री डी. के. मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री अंकित पाण्डेय संप्रेक्षक द्वारा दिनांक 25/07/16 से 29/07/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक के डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर (देहरादून)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावनाः-

1. कार्यालय की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 06/2016 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित कार्यालय अध्यक्षों नें कार्यालय का कार्यभार सम्भाले रखा।
   1. श्री विनय कुमार 13/7/2010 से 30/10/2013
   2. श्री विकेश यादव 31/10/2013 से 9/02/2014
   3. श्री कैलाश बहुगुणा 10/02/2014 से 30/11/2015
   4. श्रीमति ज्योति एस॰ कुमार 01/12/2015 से 24/05/2015
   5. श्रीमति अभिलाषा अंथवाल 24/05/2015 से वर्तमान तक

(2) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	भाग 2 अ	भाग 2 ब
1.	प्रथम लेखापरीक्षा है		

(3) सतत् अनियमित्ताये शून्य।

(4) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित): शून्य।

5 बजटः

1- राज्य सैक्टर और जिला सैक्टर

(धनराशि लाख **में)**

वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	कुल आवंटन		कुल व्यय	
		प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान
2012-13	2401	17.13	118.19	15.93	117.88
2013-14	2401	5.90	156.45	4.31	147.33
2014-15	2401	4.48	172.07	4.23	171.19
2015-16	2401	6.49	173.13	6.40	171.41
2016-17 (जून-16 तक)	2401	1.20	77.66	0	56.79

भाग 2 (ब)

<u>प्रस्तर :1</u> शासनादेश का अनुपालन समय पर न किए जाने के कारण `1.83 लाख की राजस्व हानि।

उत्तराखंड शासन, ओधोगिक विकास अनुभाग-2 संख्या 162/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 18 जनवरी 2013 अधिसूचना का स्तम्भ-1 में उल्लिखित रायल्टी दरों को स्तम्भ-2 के अनुसार प्रतिस्थापित/सशोधित किया गया था तथा यह स्पष्टतः उल्लिखित था कि यह इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त/लागू होगी। अधिसूचनानुसार उपखनिजों हेतु निर्धारित/संशोधित दरों से रायल्टी की कटौती खण्डास बोल्डर्स पर ` 40/- प्रति घन मीटर के स्थान पर ` 80/- प्रति घन मीटर तथा वाल मोरंग या बजरी पर ` 45/- प्रति घन मीटर के स्थान पर ` 90/- प्रति घन मीटर की दर से रायल्टी की कटौती कर संबंधित उपखनिज शीर्ष में जमा किया जाना था।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच(07/2016) में पाया गया कि इकाई के अन्तर्गत आर.के.वी.वाई. (RKVY) रायपुर योजना में रायल्टी की संशोधित दर की तिथि 18 जनवरी 2013 के बाद निष्पादित/मापित तथा भुगतान किये गये पत्थर कार्य के लिए पुरानी दर (` 40/- प्रति घन मी.) से रायल्टी की कटौती की गयी। इस प्रकार तत्समय संशोधित लागू दर से (@ ` 80/- घन मी.) रायल्टी की कटौती नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप ` 1.83 लाख की (तालिका-'क' रायल्टी विवरण के अनु.) शासकीय राजस्व की हानि पहुचायी गयी।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा को अवगत कराया कि परियोजनाओं में पूर्व शासनादेश/दिशा निर्देशों के अनुरूप ` 40/- प्रति घन मी. की दर से रायल्टी का प्राविधान किया गया था। तदनुसार ही आमंत्रित निविदाओँ में भी ` 40/- प्रति घन मी. रायल्टी का प्राविधान किया गया था। संशोधित पत्थर रायल्टी ` 80/- प्रति घन मी. का शासनादेश सं. 162 दिनांक 18/01/2013 कार्यालय उप जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिला विकास अधिकारी देहरादून का पत्रांक- 472 दिनांक 19-09-2013 मुख्य कृषि

अधिकारी देहरादून द्वारा दिनांक 26-02-2014 को इस इकाई को प्राप्त कराया गया। तदोपरांत इसी योजना में पत्थर की रायल्टी ` 80/- घन मी. की दर से ठेकेदारों के बिलों से कटौती कर चालान द्वारा राजकोष में जमा कराया गया है। इस स्तर से शासन को किसी प्रकार की भी क्षति पहुंचाने का लेश मात्र भी प्रयास नहीं किया गया, अपितु शासनादेश प्राप्त होते ही अनुपालन करना सुनिश्चित कर दिया गया था।

ईकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि रायल्टी दरों में संशोधन संबंधी शासनादेश में उल्लिखित था कि यह इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक अर्थात 18 जनवरी 2013 से प्रवृत्त/लागू होगी, तथापि ईकाई द्वारा उक्त तिथि के बाद निष्पादित/भुगतान किये गये कार्यों के लिए पुरानी दर से ही रायल्टी की कटौती की गयी।

इस प्रकार शासनादेश का अनुपालन यथासमय न किये जाने के कारण ` 1.83 लाख शासकीय राजस्व हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1- धनराशि ` 90,940/- Unregistered dealer के संबंध में।

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर (देहरादून) की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि Shanti Construction, Rajeshwar Nagar, Phase-I Near IT Park Shastradhara Road Dehradun के द्वारा जल सम्भरण योजना से संबंधित खुदान कार्य कराए गये जिसमें कुल धनराशि ` 90,940/- व्यय की गई। जबकि Shanti Construction के बिल में कोई TIN No. अथवा CST नम्बर नही दर्शाया गया।

इस सन्दर्भ में विभाग से पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि जल सम्भरण योजना की Guide Lines के अनुसार कार्यों का सम्पादन समूह के माध्यम से किए जाने के निर्देश थे। जल सम्भरण के सभी कार्य समूह के माध्यम से ही किए गए है। बिल के TIN No. को लेकर भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि बिना CST या TIN No के Voucher, नियम के विरूद्ध है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके **कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर (देहरादून)** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II